तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सीताराम बनाम तहसीलदार दांतारामगढ मु0नं0 25/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (बाबूलाल गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

22/17

2020/00232

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

1–सीताराम पुत्र श्री भोलुराम

2–झमरी देवी पत्नि भोलुराम

जाति जाट निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दंातारामगढ जिला सीकर

अपीलांटस

ब ना म

तहसीलदार महोदय दंातारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.07.2017 न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर व निर्णय दिनांक 27.07.2016 तहसीलदार महोदय दंातारामगढ प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम सीताराम मु.नं. 19/2016 अं0 धारा 91 ले.रे.एक्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 76 ले.रें.एक्ट.

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खाटूश्यामजी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गैर सांयल/अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2702 रकबा 0.30 हैक्टर में से 0.0066 हैक्टर तन ग्राम खाटूश्यामजी में पुख्ता दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया, पटवारी हल्का ने अतिक्रमण कर पुख्ता दीवार बना लेने की तथा निर्णय में पुख्ता मकान/दुकान बना लेने का तथ्य अंकित किया है योग्य तहसीलदार महोदय ने पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन ही नही किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर योग्य तहसीलदार महोदय ने पत्रावली मुर्तिब कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलांट ने जबाब नोटिस व दस्तावेज पेश किया व

Scanned by CamScanner